RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-05
Issue-09
September-2020

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[Peer Reviewed Journal]
DOI: https://doi.org/10.31305/rrijm.2020.v05.i09.037

आजादी के बाद देवदासी प्रथा

डॉ0 प्रकाश कुमार पासवान

इतिहास विभाग, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

जब–जब भी बचपन में हम मंदिरों के बारे में किताबों में पढ़ते थे तब–तब हमें मंदिरों से पवित्रता का अहसास होता था। लगता था वासतव में ही वहाँ ईश्वर का वास होता है और पुजारी तथा पण्डित अच्छे आदमी होते हैं। ऐसा हम सोचते थे। लेकिन जैसे–जैसे उम्र बढ़ती गई और हम पढ़ते–लिखते गये, पत्र–पत्रिकाओं में मंदिरों में हुई घृणित घटनाओं के बारे में पढ़ा, लोगों से सुना। वैसे–वैसे मंदिरों से हमें घृणा–सी होती गई। हमें उम्मीद न थी कि मंदिरों में इतनी गंदगी होगी। बकौल डॉ. नागराज मंदिर हमेशा से आध्यात्मिक आनंद और भौतिक वैभव के स्त्रोत रहे हैं। दलितों ने अक्सर मंदिर–प्रवेश एवं समान धार्मिक अधिकारों की माँग उठाकर अपनी नयी पहचान कायम करने का दावा पेश किया था। पर मंदिरों के भीतर और आसपास के परिवेश में हजारों वर्षों से जो मानवीय घटनाएँ/घुर्टनाएँ होती रही हैं, उनके खिलाफ कुछ ही लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज की हैं। इसलिए कि अधिकांश मंदिर, मठ और आश्रम भ्रष्टाचार और व्याभिचार के केन्द्र रहे हैं। मंदिरों, मठों तथा आश्रमों के नाम पर आये धन का उन्हीं पण्डे, पुजारियों तागि मठाधीशों ने दुरूप्योग किया तो तथाकथित ईश्वर के नाम पर भली–भांति जनता को ठगते आए हैं।

यह गंभीर बहस का मुद्दा होना चाहिए कि धर्म ने विशेषरू‍प में हिंदू धर्म और वर्ण–व्यवस्था ने व्यक्ति को इंसान कहाँ बनाया? उन्हीं रीति–रिवाजों तथा रूढ़ियों और परंपराओं में उसे हैवान और शैतान बनाया। दुःखद विषय है कि हजारों वर्षों से मंदिरों में देवदासियों के रूप में दलित समाज की लड़कियों को समर्पित किया जाता रहा और किसी ने उफ् तक नहीं की। दलितों पर धार्मिक आधार पर इससे घिनौना अत्याचार और क्या हो सकता है, जिसने लाखों की संख्या में उन बेबस दलित लड़कियों को वेश्या बनने पर मजबूर किया होगा। मनु के कानून की किस धारा के तहत और कब तक दलितों को यह सजा दी जानी थी?

देवदासी परंपरा के बहाने इस वेश्या–व्यवसाय को बंद करने का शंकराचार्य के पास कोई हल नहीं है? धर्म और धर्म मार्तंडों के कोढ़ में पली यह प्रथा स्त्री को एक शाप है। मंदिरों में पंडे–पुजारियों ने इसी प्रथा को और भी कलंकित किया है। क्योंकि उनके पास न विचार है और न आचार है। व्यवहारिक कुशलता भी नहीं। सिर्फ धर्म की पोथियों में सड़ी गली मान्यताएँ दर्ज हैं। जिनके सहारे उन्होंने लोगों को श्रद्धावान नहीं अंध श्रद्धावान बनाया है। स्वयं पैंगणिकर ने इस समस्या को लेकर आंदोलन छेड़ा था। उन्हीं के शब्दों में इस धर्म के नाम पर वेश्या–व्यवसाय को बंद करने के लिए शंकराचार्य के पास अर्जी भी भेजी थी, लेकिन अर्जी का कुछ फायदा न हुआ।

श्री राजाराम पैंगणिकर ने उस समस लिखा था, ''ताज्जुब की बात है कि शेषविधि जैसी अनिष्ट रूढ़ी के खिलाफ किसी भी जाति या समाज ने आवाज नहीं उठायी। उल्टे इस समारोह में गाँव के संभ्रांत, प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते थे और बिना किसी शास्त्रापाठ के गढ़ी हुई इस विधि को ब्राह्मण संपन्न किया करते थे। इसी से भोले–भाले, भावुक, धार्मिक लोग यही समझते थे कि वे जो कर रहे हैं वह देवता एवं ब्राह्मण देवता दोनों को मंजूर है।''

पर ताज्जुब की बात तो आज भी है, जब हममें से बहुत से अपने–आपको आधुनिक कहते हुए भी हिंदू धर्म और वर्ण व्यवस्था के तहत सड़ी गली परंपरा रूढ़ियों, मान्यताओं तथा अंधविश्वासों में जकड़े हैं। असल में वैसे अंधविश्वास और कूप मंडूकता ही देवदासी जेसे निर्लज्ज और घृणित परंपरा को अभी भी जीवित रखे हुए हैं।

यद्यपि सभी धर्मों में बलात्कार की भर्त्सना की गई है फिर भी धर्माधिकारियों के द्वारा ही निरीह महिलाओं पर सबसे अधिक बलात्कार भी होते रहे हैं। यह अपने–आप में विरोधाभास का विषय है यानी धर्म और बलात्कार। अखबार की खबरें आये दिन बतलाती हैं कि महिलाओं पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के अपराधी धर्म से जुड़े लोग ही हैं। जिन्हें हम अलग–अलग नामों से पुकार सकते हैं। उदाहरण के लिए पण्डित, पुरोहित, पुजारी, मठाधीश या फिर ज्योतिषी, झाड़ फूंक करनेवाले बाबा, धूनी रमाए पहुँचे हुए साधु आदि। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे तमाम लोग जो धर्म, जादू टोना, आस्था विश्वास, आध्यात्मिकता, स्वर्ग–नरक, तंत्र–मंत्र आदि पेचीदिगियों से पूर्णतः वाकिफ रहे हैं साथ ही अपने व्यवसाय में पक्के और लंगोट के कच्चे। ये अलौकिक पुरूष धर्म की लुभाऊ बातों के माध्यम से महिलाओं के शरीर तक पहुँचते रहे हैं। वे वेद पुरूष भी हैं और ब्रह्मा भी।

धर्म का घिनौना इतिहास हमें यह जानकारी देता है। ऐसे धार्मिक लम्पटों की कथा–कहानियाँ हमें बतलाती हैं कि जिन आराध्य देवी की अधिकांश महिलाएँ पूजा करती हैं उन्हीं को बीच में रखकर धर्माधिकारी उनसे रंगरलियाँ मनाते रहे हैं।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

भारत में परंपराओं, रूढ़ियों, मान्यताओं की जकड़न में जकड़े हुए बिना शायद ही कोई महिला बची हो। जिनका जीवन में कभी न कभी लैंगिक आधार पर शोषण न हुआ हो, ऐसी महिलाएँ ढूंढने से अवश्य मिल जाएँगी, पर जिन्होंने जाने–अनजाने मंदिरों, मठों, स्नान पर्व स्थलों पर अपनी अस्मिता गंवाई है, ऐसी महिलाएँ तो हर घर में बिना तलाश किये ही मिल जाएँगी।

भारत में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उनमें अधिकांश स्थलों/जगहों का चप्पा–चप्पा उन अबलाओं की घायल चीखों से आज भी गुंजयमान है, जहाँ पण्डितों/पुजारियों तथा मठाधीशों के द्वारा उनसे बलात्कार किये गये। किसी भी मंदिर में जाइये वहाँ गुफ जैसे गर्भगृह मिलेंगे। उनमें दलित महिलाओं की रौंदी हुई अस्मिता की कहानियाँ मिलेंगी। उन अंधेरे परिवेश में सिसकती हुई अबलाएँ मिलेंगी। उनके कटे हुए सिर, छातियाँ, जांघें तथा हाथ–पाँव मिलेंगे। जागरूक लोगों को वहाँ जाकर अवश्य कही खोज करनी चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि मंदिरों के गर्भगृह में महिलाओं के अंगों का क्या किया जाता है?

इस विषय पर भी गंभीरता से बहस होनी चाहिए कि मंदिरों ने आखिर देश और समाज को क्या दिया। किसी भी मंदिर में चले जाईये। वहाँ अपको रेडियों, भिखमंगों, दलालों और अंधश्रद्धालुओं की भीड़ से अलग कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ मिलेंगे लम्पट और ऐय्याय जमींदार/पटेल/सामंत और नव धनाढ्य/दलाली करते पण्डे और पुजारी/हर मंदिर की लगभग यही अमानवीय कथा है। देवदासियाँ जिनके अमानवीय कारनामों की चश्मदीह गवाह रही हैं। न शंकराचार्यों की आँखें खुलती हैं और न गौ भक्तों की।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. आधुनिकता के आइने में दलित, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002, पृ0 249।
2. दलित उत्पीड़न और दलित पत्रकारिता, पूर्व देवा, उज्जैन अक्तू, दिसंबर, 1995, पृ. 3।
3. डॉ. विमलकीर्ति, बौद्ध धर्म के विकास में डॉ. आम्बेडकर का योगदान, संगीता प्रकाशन, शाहदरा, दिल्ली, 1994, पृ. 281।
4. डॉ. सुनन्दा पटवध्रन, चेंज एमंग इंडियन सिटिजंस, महाराष्ट्र ए केस स्टडी, स. प्र. पत्रिका, जुलाई–अगस्त, 1975।
5. दलित पैंथर, स. कुमार लिबाले सुगावा प्रकाशन, पुणे, 1989, पृ. 9।
6. राज किशोर, बलात्कार का वर्ग चरित्र, रविवार, कलकत्ता, जुलाई, 1980।
7. राजेश हजेला, कुप्रथाओं के नाम पर यौन उत्पीड़न, समाज कल्याण, नई दिल्ली, मई 2001, पृ. 25।

RRIJM 2015, All Rights Reserved